न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/633

1. मनीषा पुत्री रामचरण जाति मीणा ।
2. जितेश पुत्री रामचरण जाति मीणा ।
3. अन्तिमा पुत्री रामचरण जाति मीणा ।
4. शकुन्तला पत्नी रामचरण जाति मीणा निवासीगण ग्राम गुमानपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामरतन आत्मज हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामभरोसी पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम कालारेवा तहसलील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारी, दीगोद ।
4. विद्या सागर आत्मज रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कालारेवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 09.03.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 4 विद्या सागर ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम गुमानपुरा की आराजी खसरा नम्बर 158 की 0.94 हैक्टर का रामरतन का हिस्सा 1/3 तथा आराजी खसरा नम्बर 160 का 0.85 हैक्टर में से रामरतन, रामभरोसी पिता हीरालाल का 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड कय किया है तथा विक्रेताओं द्वारा प्रार्थी को मौके पर कब्जा भी संभला दिया गया है । प्रार्थी कयशुदा भूमि पर

हस्ताक्षर अभिभाषक

काबिज काश्त है । प्रार्थी उक्त भूमि का सद्भावी क्रेता होने से आवश्यक पक्षकार है । अतः प्रार्थी को दावे में पक्षकार बनाया जावे ।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी विद्यासागर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.12.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी को बतौर प्रतिवादी क्रम 4 अंकित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार हीराजी थे जिनके रामचरण व रामरतन पुत्र थे रामचरण का स्वर्गवास हो गया है जिसके अपीलान्ट वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं । उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी होने व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से राजस्व कर्मचारियों द्वारा हीरा की मृत्यु के बाद त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट क्रम 2 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम 2 महिला होने व जाति से मीणा होने तथा पुरूष सदस्य के मौजूद होने से रेस्पोडेन्ट क्रम 2 का कोई अधिकार व स्वत्व वर्णित आराजी में नहीं है । इस बाबत् अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । मौके पर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 का कब्जा काश्त नहीं है । हीरा जी की मृत्यु के बाद से ही 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट के पिता व पति रामचरण जी व 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट के पिता रामचरण जी व 1/22 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 काबिज काश्त रहे हैं । रामचरण की मृत्यु के बाद अपीलान्ट उनके 1/2 हिस्से पर आज भी काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं । उक्त तथ्य की सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट क्रम 4 को होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा बिना कब्जे व अधिकार के रेस्पोडेन्ट से विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेन्ट क्रम 4 का मौके पर कोई कब्जा नहीं है । रेस्पोडेन्ट क्रम 4 को पक्षकार बनाये जाने से अपीलान्ट को अनेक समस्याओं का सामना करना पडेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । रेस्पोडेन्ट क्रम 4 ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से क्रय की है और वह उक्त भूमि का सद्भावी क्रेता है । सद्भावी क्रेता होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार बनाया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2017 बहाल रखा जावे ।

ने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कम 4 ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है और वह वादग्रस्त आराजी का सद्भावी क्रेता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में उसे पक्षकार बनाया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के समय होगा ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा